राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

कमांकः– एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी / 1994 / अलेसे–III / 7267-7281 दिनांक 05-05-2015.

आदेश संख्या......13........../2015–16

राज्य सरकार के आदेश कमांक प.11(7) वित्त(नियम / 2008 / दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ11(7) वित्त (नियम) पार्ट–I / 2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्होने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) पे–बेण्ड 2(9300–34800) ग्रेड पे 4200 /– एवं राज्य सरकार के आदेश कमांक प. 14(88)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 5 जुलाई,2013 के अनुसरण में दिनांक 1.7.2013 से ग्रेड पे 4800 /– में स्वीकृत की जाती है।

क.स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्व श्री	मेरिट संख्या / बैंच संख्या	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि
1	2	3	4	5
1.	संजय सिंहल	196 / 94	28.02.1996	28.02.2014
2.	मीठालाल सांखला	317 / 94	15.03.1996	15.03.2014
3.	सुनील कुमार जैन	56 / 92	26.06.1995	26.06.2013
4.	विजय कुमार	49 / 94	19.02.1996	19.02.2014
5.	पप्पु लाल रैगर	573 / 94	25.05.1996	25.05.2014
6.	बृजमोहन माली	357 / 94	26.02.1996	26.02.2014

उक्त कनिष्ठ लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश कमांक प014 (88) वित्त / नियम / 2008 दिनांक 31.12.2009 में दी गई शर्तो के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती हैं।

कम संख्या 1 एवं 2 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के वर्ष 2006–07 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर नियमानुसार गत 9 वर्षो में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तद्नुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त कनिष्ठ लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावें कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा हैं तथा पूर्व में इन्हें द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है तथा ए.सी.पी. देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक इन्हें कोई दण्ड नहीं दिया गया है तथा इनके विरूद्ध फोजदारी / विभागीय जांच लम्बित

अथवा प्रस्तावित नहीं है एवं गत 7 वर्षों में नियमित रूप से वेतन वृद्धियां मिल रही हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावें।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी/1994/अलेसे–III/ 7267-7281 दिनांक 05.05.2015

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष..
2. श्री..कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय..
3. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
4. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I) / एपीएआर शाखा को प्रेषित कर लेख है कि क्रम संख्या 1 एवं 2 पर अंकित कनिष्ठ लेखाकारों के भविष्य में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यदि कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
5. उपनिदेशक(एसीपी) को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली / गार्ड फाईल।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–III)